समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका पर मिली संरक्षण

Sanket Morankar
Published on 13 Sep 2025

बॉलीवुड अभिनेता **अभिषेक बच्चन** को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके **व्यक्तिगत अधिकारों और गोपनीयता की सुरक्षा** की जानी चाहिए। यह मामला अभिषेक की याचिका पर आधारित था, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्टिंग में अपने निजी जीवन को लेकर हो रहे हस्तक्षेप का उल्लेख किया था।

⍰ याचिका का कारण

अभिषेक बच्चन ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा:

- “मेरी निजी जिंदगी और परिवार से जुड़ी जानकारी बार-बार मीडिया और सोशल मीडिया पर फैल रही है। यह मेरे और मेरे परिवार के **व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन** है।”
- याचिका में उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें और उनके परिवार को **अनावश्यक हस्तक्षेप और गैरकानूनी रिपोर्टिंग से सुरक्षा** दी जाए।

⍰ दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि **सभी मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स** को अभिषेक बच्चन के व्यक्तिगत जीवन को बिना अनुमति साझा करने से रोका जाए।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की रिपोर्टिंग या फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को **अभिषेक की अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जाएगा**।

- न्यायालय ने कहा कि गोपनीयता और व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

⍰ बॉलीवुड में बढ़ता संरक्षण का महत्व

- पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की **प्राइवेसी और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा** को लेकर कई मामले सामने आए हैं।
- इस फैसले को एक्टर्स और उनके परिवार के लिए **मजबूत कानून और न्यायिक समर्थन** के रूप में देखा जा रहा है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का यह आदेश **सोशल मीडिया पर भी सेलेब्रिटी अधिकारों की रक्षा** का उदाहरण बनेगा।

⍰ अभिषेक बच्चन की प्रतिक्रिया

- मीडिया से बातचीत में अभिषेक बच्चन ने कहा कि वे अपने फैसले से संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि मीडिया **ज़िम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग** करेगा।
- उन्होंने अपने फैंस से भी अपील की कि वे सोशल मीडिया पर अफवाहों और गलत खबरों से दूर रहें।

⍰ कानूनी पहलू

- यह मामला **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)** और मीडिया के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि **मीडिया की स्वतंत्रता के साथ-साथ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा** भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल अभिषेक बच्चन बल्कि बॉलीवुड और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के लिए भी **गोपनीयता की सुरक्षा** का मजबूत precedent है। यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, और न्यायपालिका इस पर कड़ी निगरानी रखती है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.